... वास्ते बहस दि. 28-11-17 को पेश हो

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां

28.11.17	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व पेशकार उप. बहस हुई नहीं कार्य निर्णय दिनांक 5-12-17 को पेश हो
5-12-17	वकील प्रार्थी व पेशकार उप. उक्त अन्य विभिन्न कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली का निस्तारण नहीं हुआ जो बहस आयन्दा दिनांक 14-12-17 को पेश हो
14/12/2017	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व पेशकार उप. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 तथा आदेश 22 नियम 03 151 जा.दी. प्रस्तुत कर प्रार्थीगण को वादी ओमप्रकाश बलाई के स्थान पर कायम मुकाम संयोजित किया जावे तथा वादी/प्रस्तुतकर्ता प्रार्थीगण का वाद पुनः नम्बर पर लिखे जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कालावधि अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर दिनांक 30-9-2014 से 3-3-2016 तक का समय जो जानकारी के अभाव में गुजरा को कण्डोन कराया जावे। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के मूल वाद सं. 180/10 आदेश दिनांक 30-9-14 की प्रमाणित प्रति व नगर निगम कोटा का मृत्यु के कारण चिकित्सीय प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जो शामिल है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

[illegible] पर मनन किया।

प्रकरण दिनांक 30-9-2014 को अदम हाजरी, पैरवी में खारिज किया। वादी की मृत्यु प्रार्थनापत्र में दिनांक 10.5.14 को बतायी गई। जिसके समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र की अप्रमाणित व फोटो प्रतिलिपी प्रस्तुत की है। प्रार्थनापत्र दिनांक 6-4-16 को प्रस्तुत किया। वादी की मृत्यु की कथित दिनांक से करीब 2 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया।

मूल वादपत्र में दिनांक 30-9-14 के पूर्व की तारीखों। पेशियों पर पैरवी वादी के अधिवक्ता द्वारा ही की जा रही थी न कि वादी स्वयं के द्वारा। ऐसी स्थिति में वादी अधिवक्ता को प्रकरण की पूरी जानकारी थी। फिर भी इच्छापूर्वक पैरवी नहीं की जा रही थी। इससे स्पष्ट है कि तासमय वादी वाद चलाने का इच्छुक नहीं था। पत्रावली पर ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है। जिससे यह सिद्ध हो कि मूल वाद का वादी कोमा में रहा।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 कारण कियाद को खारिज किया जाता है क्योंकि मूल वाद के खारिज होने के करीब 1½ वर्ष बाद प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जबकि वादी का अधिवक्ता इस न्यायालय में अन्य प्रकरणों में भी पैरवी का काम करता है। इस कारण यह नहीं माना जा सकता कि वादी के अधिवक्ता को भी प्रकरण की जानकारी नहीं थी।

अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 खारिज किया जाता है। प्रार्थनापत्र O9 R9 सं O22 R3 व 151 जा.दी. भी खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर शुमार फैसलशुदा हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

[illegible]